प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक, प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 **लखनऊ :: दिनांक 24 जून, 2022**

विषय– प्रदेश में संरक्षित निराश्रित गौवंश एवं अन्य पशुधन को वर्षाकाल में बचाव हेतु आवश्यक उपाय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश में कुल लगभग 12 लाख निराश्रित गौवंश के सापेक्ष लगभग 8.50 लाख गौवंश को विभिन्न आश्रय स्थलों में संरक्षित किया गया है और शेष को संरक्षित किये जाने की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुये संरक्षित गौवंश के भरण–पोषण तथा वृष्टि/अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली आदि से बचाव के साथ–साथ समयबद्धता के साथ चिकित्सा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है:–

(1) गौ आश्रय स्थलों पर यदि जल भराव की स्थिति हों, तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साथ–साथ मिट्टी भराई एवं खडन्जा प्लेटफार्म आदि लगवाये जाने की व्यवस्था की जाय।

(2) आश्रय स्थलों पर पर्याप्त शेड के साथ–साथ तेज हवा के साथ बारिश से गौवंश को भीगने से बचाव हेतु तिरपाल आदि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(3) आश्रय स्थलों की फर्श एवं गौवंश हेतु तैयार चरही की नियमित साफ–सफाई के साथ–साथ पीने हेतु साफ पानी की व्यवस्था की जाय।

(4) बरसात के मौसम में बहुधा मच्छर/मक्खी आदि के वेक्टर जनित रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, जिस से बचाव हेतु आवश्यक दवाओं का नियमित छिड़काव कराया जाय तथा संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं कृमिनाशक दवापान अनिवार्य रूप से कराया जाय।

(5) आकाशीय बिजली से गौवंश को बचाने हेतु लाइटनिंग कंडक्टर/लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के साथ ही साथ संरक्षित गौवंश की प्राकृतिक/बीमारी से मृत्यु होने की दशा में शव का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से कराया जाय।

(6) आश्रय स्थलों में गोवंश का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा H.S. का टीकाकरण कराया जाए।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त बरसात के मौसम में बाढ़ आपदा की स्थिति में पशुधन पर विपरीत प्रभाव एवं पशु क्षति से बचाव हेतु भी आवश्यक उपाय किये जाने हैं। सम्भावित आपदा से पूर्व की गयी तैयारियों से आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अतः विगत वर्षों के बाढ़ अनुभवों के आधार पर आंकलन कर प्रारम्भिक बाढ़ राहत सम्बन्धी कार्य योजना तैयार कर ली जाये। National Disaster Managment Guidelines-Managment of Floods तथा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.06.2020 को दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप Animal Care Flood Managment Preparedness Plan (ACFMP) विकसित कर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु प्रबन्ध सुनिश्चित कर लिये जाय। उक्त व्यवस्थायें तीन खण्डों में निम्नवत तैयार की जायः–

1– <u>बाढ़ से पूर्व तैयारी।</u>

(1) आपदा के समय भूसे एवं चारे के मूल्य में वृद्धि के साथ–साथ इसके परिवहन में भी कठिनाई आती है। अतः ए0सी0एफ0एम0पी0 में भूसा व्यापारियों का चिन्हीकरण/दर अनुबन्ध, भूसे के परिवहन/भण्डारण आदि व्यवस्थायें ससमय सुनिश्चित कराई जाय। निकटवर्ती पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों से अतिरिक्त भूसा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सकती है।

(2) बाढ़ आपदा की स्थिति में पशुधन को पीने हेतु स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिये आवश्यक व्यवस्था यथा– पीने हेतु पानी, बर्तन एवं टब आदि सुनिश्चित की जाय।

(3) वर्षाजनित विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशुओं में बरसात प्रारम्भ होने के पूर्व ही टीकाकरण कराया जाना आवश्यक है। बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा दल का गठन करते हुये एच0एस0 (गलाघोंटू) टीकाकरण का कार्य युद्धस्तर पर कराया जाय।

(4) गत वर्ष के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता के आधार पर रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा दल का गठन कर लिया जाय, साथ ही इन्डेमिक क्षेत्रों का चार्ट जनपद स्तर पर एवं प्रत्येक पशु चिकित्सालय में रखा जाय। पशु उपचार चिकित्सा कैम्प में ही उपलब्ध कराया जाय। जनपद स्तर पर एक त्वरित कार्यवाही दल (R.R.T) का गठन किया जाये जिससे आवश्यकता पड़ने पर जनपद के किसी भी स्थान पर राहत पहुँचायी जा सके।

(5) सम्भावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ऐसे ऊचे स्थानों का चयन कर लिया जाय जहॉ पर बाढ़ प्रभावित पशुओं को सुरक्षित रखा जा सके तथा जहरीले जानवरों के आने की सम्भावना न्यूनतम रहे।

2– <u>बाढ़ के दौरान तैयारी।</u>

(1) बाढ़ के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम का गठन बाढ़ सहायता कार्य के लिए किया जाय एवं प्रत्येक बाढ़ टीम के कार्य क्षेत्र निश्चित करते हुए बाढ़ चौकियों पर स्टाफ तैनात किया जाय। बाढ़ चौकियों पर जिन पशु चिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी/कर्मचारी को नामित किया जाये, उनका नाम, दूरभाष नम्बर सहित निदेशालय, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को gfssahd16@gmail.com पर तत्काल उपलब्ध कराया जाय। बाढ़ चौकियों पर आवश्यकतानुसार जीवन रक्षक औषधि, वैक्सीन, दवा एवं मरहम पटटी का सामान आदि उपलब्ध कराया जाय, यदि बाढ़ टीम को निर्दिष्ट स्थानों तक पहुचाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका भी खाका पहले से ही तैयार कर लें। बाढ़ के समय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर न दिया जाये।

(2) सम्भावित बाढ़ आपदा के दृष्टिगतं बीमारी से बचाव हेतु आवश्यक जीवनरक्षक एवं अन्य औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

(3) आपदा के दौरान पशुराहत शिविर की व्यवस्था बाढ ग्रस्त क्षेत्रों में की जाय, जिसमें पानी, दाने एवं चारे की उपलब्धता हो तथा चिकित्सा एवं अन्य सुविधा भी उपलब्ध रहे। इस कार्य हेतु भारत सरकार के नवीनतम राहत मानक दिनांक 8.4.2015 के अनुसार बड़े पशु के लिए रू0 70.00 प्रतिदिन प्रति पशु एवं छोटे पशु के लिए रू0 35.00 प्रतिदिन प्रति पशु की अनुमन्यता की गयी है। यह धनराशि राजस्व विभाग द्वारा दी जाती है। यह सुविधा शिविर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पशुओं के लिये उपलब्ध होती है।

(4) आकाशीय बिजली से पशुधन के बचाव हेतु यह सुनिश्चित किया जाय कि बरसात के समय पशु खुले में, पेड़ के नीचे/बागों में न रहे। उक्त के अतिरिक्त बरसात के समय पशुओं के पीने के लिए पानी धातु से बने बर्तन में न रखा जाय।

(5) बाढ़ आपदा के दौरान पशु उपचार हेतु शासकीय शुल्क की वसूली न करने के संबंध में नियमानुसार आदेश निर्गत किया जाय।

(6) बाढ़ राहत कार्यों का सतत अनुश्रवण किया जाय एवं इस हेतु जनपद स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुये अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की जाय।

(7) बाढ़ के दौरान विभागीय अधिकारियों को कोई अवकाश स्वीकृत न किया जाए।

(8) प्रदेश स्तर पर बाढ़ राहत कन्ट्रोल रूम खोला जाए।

3– <u>बाढ़ के पश्चात की व्यवस्था।</u>

बाढ़ के उपरान्त बीमारी का प्रकोप होने का खतरा बना रहता है। अतः बाढ़ टीमें निरन्तर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करती रहें तथा पशुओं को वाहय व अन्तः कृमिनाशक दवाओं तथा मिनिरलमिक्चर आदि का वितरण सुनिश्चित करें। पशुओं में होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी अथवा अन्य सूचनाओं से पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 को तत्काल अवगत कराया जाये,

जिससे इस स्तर से भी प्रभावी कार्यवाही करना सम्भव हो सके। बाढ़ राहत कार्यो में तैनात किये गये किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यो में शिथिलता एवं लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1084(1)/सैंतीस–2–2022तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 (द्वारा– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ)।
3– समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0। (द्वारा– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ)।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।